न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 64/2016 **(RCMS NO.- 2016/00098)**

कैलाश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय योगी, निवासी ग्राम खेडलावास, पोस्ट हंसमहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत हंसमहल, पंचायत समिति बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये सरपंच।
2. बाल विकास परियोजन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी विरूद्व आवंटन पत्र /पट्टा संख्या 19 दिनांक 06.06.2001 ग्राम पंचायत हंसमहल, पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजय चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–दो की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.10.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत हंसमहल, पंचायत समिति, बस्सी के निर्णय/आदेश दिनांक 06.06.2001 द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर के पक्ष में भूमि आवंटन पत्र/ पट्टा संख्या 19 जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– दो की ओर से श्री विजय चाहर अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से निगरानीधीन पट्टे से संबंधित मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खेडलाबास, ग्रा0प0 हंसमहल स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 121 स्थित है, जिसके संबंध में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 2 को पट्टा संख्या 19 जारी कर दिया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा मौके की वास्तविक जांच किये बिना पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से पट्टा आवंटित करने से पूर्व

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

योजना अनुमोदित किया जाना चाहिए था। निगरानीधीन भूमि पर निगरानीकर्ता मय परिवार लगभग 18 वर्षो से पुख्ता मकानात बना कर निवास करता आ रहा है तथा निगरानीकर्ता के भाई फैलीराम के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है। ग्राम पंचायत हंसमहल की आदेशिका में स्पष्ट अंकन है कि ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष एक आवेदन पत्र बाल विकास अधिकारी परियोजना अधिकारी बस्सी द्वारा पेश किया गया जबकि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 का आंगनबाडी भवन हेतु पट्टा आवंटन संबंधी कोई आवेदन पत्रावली में नहीं है जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जकारी तरीके से की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस भी डिस्पेच नहीं है। विवादित स्थल पर निगरानीकर्ता का कब्जा है एवं विवादित स्थल की भूमि खाली भूमि नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जाकृत स्थल का पट्टा चाहने बाबत ग्राम पंचायत में आवेदन पर उक्त निगरानीधीन पट्टा संख्या 19 की जानकारी हुई जिस पर अविलम्ब यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत हंसमहल के निर्णय दिनांक 06.06.2001 को निरस्त कर गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 19 खारिज किया जावें।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या दो द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत हंसमहल द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित सम्पत्ति से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 का आंगनबाडी भवन हेतु भूमि आवंटन हेतु पट्टा देने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है तथा सर्वसहमति से मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निर्णय लिया गया निर्णय में तीन पंचो को मौके रिपोर्ट लेने हेतु लिखित नोटिस दिया गया जिसकी रिपोर्ट तीन पंचों महोदय द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई जिसे दिनांक 09.04.2001 कोरम मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं आने के पश्चात दिनांक 06.06.2001 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 2 के हक में पट्टा संख्या 19 जारी किया है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

64/2016

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत हंसमहल द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित स्थल के निरीक्षण के लिए मौका कमेटी दिनांक 20.02.2001 को गठित की गई। जिसके कम में दिनांक 09.04.2001 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीनों वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र जारी किया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत हंसमहल द्वारा संकल्प संख्या 5 द्वारा दिनांक 06.06.2001 के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 2 को उक्त विवादित स्थल का ग्राम खेडलावास में आंगनबाडी भवन हेतु पट्टा जारी किया। निगरानीकार द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित आदेश दिनांक 06.06.2001 को जारी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है जो कि तथ्य गलत है। निगरानीकर्ता का कथन गलत है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने विवादित पट्टे के आवेदन के लिए ग्राम पंचायत में कोई आवेदन नहीं किया। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ताओं की विवादित सम्पत्ति पैतृक है व निगरानीकार का विवादित स्थल पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली बनाई गई है व नियमानुसार आपत्ति नोटिस निकाला गया है एवं पंचायत कोरम की मीटिंग में दिनांक 06.06.2001 को पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हंसमहल द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार विधिसम्मत ही पट्टा जारी किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर